

विज्ञापन संख्या-01 / 2025

अनुबंध के आधार पर आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन संबंधित विज्ञापन

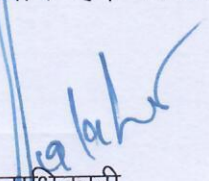
सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि जिले में समेकित बाल विकास सेवाएँ (आंगनवाड़ी सेवाएँ) अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक-1846 दिनांक-10.06.2010 एवं संशोधन पत्रांक-5994 दिनांक-31.12.2018 एवं संशोधन पत्रांक-5148 दिनांक-13.08.2025 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है। नियोजन हेतु जिले में रिक्ति से संबंधित विस्तृत सूचना जिले की वेबसाइट <https://araria.nic.in> एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय अररिया से प्राप्त किया जा सकता है। महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन की विस्तृत सूचना यथा- अर्हता/रिक्त पद/आवेदन देने की प्रक्रिया/विभिन्न स्तरों के लिए समय-सीमा का निर्धारण आदि संबंधित जिले की वेबसाइट <https://araria.nic.in> एवं जिला प्रोग्राम कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी। अररिया जिला अंतर्गत सेविका प्रोन्नति द्वारा संविदा आधारित महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आयुक्त महोदय पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के पत्रांक-5774 दिनांक-11.12.2024 द्वारा कुल 20 रिक्त पदों का आदर्श आरक्षण रोस्टर अनुमोदित कर उपलब्ध कराया गया है।

सेविका प्रोन्नति द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु कोटिवार रिक्ति कि विवरणी निम्न प्रकार है-

क्रमांक	कोटि	बैकलॉग रिक्ति	चालू रिक्ति	कुल रिक्त पदों की संख्या
01	अनुसूचित जाति	02	02	04
02	अनुसूचित जनजाति	00	00	00
03	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	00	02	02
04	पिछड़ा वर्ग	01	03	04
05	पिछड़े वर्गों की महिला	00	00	00
06	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	02	02
07	गैर आरक्षित	00	08	08
	कुल	03	17	20

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या-962, दिनांक-22.01.2021 के आलोक में (बधिर एवं श्रवण शक्ति ह्रास दिव्यांगता) को क्षैतिज आरक्षण के तहत नियमानुसार 01 पद देय होगा।
- आंगनवाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु आवेदक अपने सभी संबंधित दस्तावेज के साथ ऑनलाईन आवेदन पोर्टल का लिंक <http://125.16.175.140:88/Register.aspx> अथवा <http://125.16.175.140:88/> पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेंगे।
- आवेदिका का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष होंगे।
- आवेदिका चयन वर्ष (2025) की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल आंगनवाड़ी सेविका के रूप में पूर्ण किये हो।
- आवेदिका संबंधित जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा।
- ऑनलाईन समर्पित आवेदन का प्रिंटआउट एवं संलग्न किए गए सभी दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ जिला पदाधिकारी अररिया के कार्यालय में आवेदन करने की तिथि के 21 दिनों के अंदर निबंधित डाक द्वारा आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।

- आंगनबाड़ी सेविका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक-31.10.25 के अपराह्न-05 बजे तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र, सभी अंक पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे।
- आवेदिका अपने पूर्णतः भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर अवश्य रखेगी।
 - वांछित प्रमाण-पत्र नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्ट्या अपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया जाएगा।
 - अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया है। यदि सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार/राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो उससे संबंधित प्रमाण-पत्र भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
 - उपरोक्त समय-सीमा के पश्चात एवं किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
 - यह नियोजन सक्षम न्यायालय/विभागीय दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।
 - आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी पूर्ण रूप से विज्ञापन के साथ संलग्न सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने और समझने के पश्चात ही आवेदन करें।
 - समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के पत्रांक-3385 दिनांक-22.07.2024 एवं आई०सी०डी०एस० निदेशालय का पत्रांक-4359 दिनांक-26.07.2024 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में CWJC No-16760/23 गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य में तथा सम्बद्ध अन्य सभी मामलों में दिनांक-20.06.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय नयी दिल्ली में दायर SLP(C) No. 014086/2024 , 014425/2024 , 014096/2024 , 014329/2024 , 014079/2024 , 014051/2024 , 014132/2024 , 014094/2024 , 014081/2024 , 014430/2024 में पारित आदेश के फलाफल से यह नियोजन प्रभावित होगा।
 - विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार, जिला पदाधिकारी अररिया के अधीन है। जिला पदाधिकारी अररिया विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।


जिला पदाधिकारी
अररिया।



बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

बितीय तल, इन्दिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना - 800001
फोन : +91-612-2547341, ईमेल : icds@dtpl.biz, website : www.icdsbih.gov.in



157

संचिका सं०:- ICDS/10040/17-2024/.....5148

दिनांक :- 13/08/25

प्रेषक

निदेशक

आई.सी.डी.एस.

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,

बिहार।

विषय :- सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि कतिपय जिला पदाधिकारियों/जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों द्वारा सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन नियमावली 1846 दिनांक 10.06.2010 में उल्लेखित प्रावधानों से संबंधित मार्गदर्शन की मांग की गई है।

इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् मार्गदर्शन दिया जाता है :-

- (क) सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु अनिवार्य योग्यता/अहर्ता का उल्लेख मार्गदर्शिका की कंडिका-2 क में किया गया है - (1) न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण।
(2) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल।

यदि कोई अभ्यर्थी (सेविका) इस शर्त को पूरा करती है तो वह नियोजन हेतु पात्रता/योग्यता रखती है।

- (ख) सेवा में निरंतरता (जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो) का संबंध बोनस अंक दिये जाने से है एवं जिसका प्रयोग मेधा सूची के निर्माण में किया जाना है। इसका योग्यता/अहर्ता से कोई संबंध नहीं है।

इसका सीधा एवं स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि किसी अभ्यर्थी (सेविका) का हड़ताल या किसी अन्य कारणों से 10 वर्षों की निरंतर सेवा नहीं रहती है तो उसे 10 बोनस अंक नहीं दिये जायेंगे, किन्तु उसे नियोजन हेतु अयोग्य नहीं माना जायेगा।

- (ग) बोनस अंकों के निर्धारण के संबंध में पूर्व से ही निदेशिका- 5 (ड) में स्पष्ट प्रावधान अंकित हैं।

अतएव उक्त तथ्यों के आधार पर चयन की कार्रवाई यथाशीघ्र पूरी कर ली जाए।

विश्वासभाजन

निदेशक

आई.सी.डी.एस.

जापांक :- ICDS/10040/17-2024/.....5148

दिनांक:- 13/08/25

प्रतिलिपि :- सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

आई.सी.डी.एस.



बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)

द्वितीय तल, बंदिश मकान, राम चरित्र सिंह मध्य, पटना-800001
फोन: +91-612-2520960 फैक्स: +91-612-2520960 website: www.icdsbih.gov.in



34

पत्र संख्या :- ICDS/10036/11-2018.....5994 दिनांक.....31/12/2018

प्रेषक,

आलोक कुमार, भा.व.से.
निदेशक,
आई.सी.डी.एस.।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी।

विषय :- समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में आंशिक संशोधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 से निर्गत है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-1-2/2014-CD.। दिनांक 15.09.2015 द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से प्रोन्नति द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने का निदेश है।

साथ ही विषयांकित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 की कंडिका-IV विशेष अर्हता "अभ्यर्थी को दो पहिये वाले वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी" वर्तमान में विचाराधीन थी।

उपरोक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-1846 दिनांक 10.06.2010 में निम्नांकित संशोधन का निर्णय लिया गया -

क्र.	धारा/ नियमावली संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1.	कंडिका- (iv) 1 (क)	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 25 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।	जिला स्तर पर स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेंगे एवं शेष 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जायेंगे।

कंडिका- (viii) 1 (क)	रिक्तियों की अवधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र, संख्या-2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कार्यवाई कर जिला स्तर पर चयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी। 75 प्रतिशत पदों जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।	रिक्तियों की अवधारणा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कार्यवाई कर जिला स्तर पर चयन वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी। 50 प्रतिशत पदों जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर, क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जायेगा।
कंडिका- (viii) 5 (ड.)	आंगनवाड़ी सेविका के लिए 25 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। शेष यथावत।	आंगनवाड़ी सेविका के लिए 50 प्रतिशत कर्णांकित पदों हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी। शेष यथावत।
2. कंडिका- (vi)	विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी	विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है।

विश्वासभाजन

(आलोक कुमार)

निदेशक

1846
10/6/10

विषय :- "समेकित बाल विकास सेवा योजना अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका"।

समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इनकी स्थापना पर होने वाले व्यय का 90 प्रतिशत वहन केन्द्र सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सम्प्रति राज्य के प्रखंडों एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 544 बाल विकास परियोजना स्वीकृत है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन का नाभिकीय बिन्दु आँगनवाड़ी केन्द्र है, जो सामान्यतया प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्रों एवं 1500 की जनसंख्या पर शहरी क्षेत्रों में स्थापित होता है। इस योजना के कार्यान्वयन में महिला पर्यवेक्षिका की भूमिका अहम होती है, जिन्हें 20-25 आँगनवाड़ी केन्द्रों के समूह के समुचित कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व होता है। बिहार के 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए महिला पर्यवेक्षिकाओं के 3288 पद स्वीकृत है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में 254 महिला पर्यवेक्षिकाएँ कार्यरत हैं एवं 3034 पद रिक्त है। कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाएँ नियमित रूप से नियुक्त हैं। इनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति के उपरान्त रिक्त होने वाले पद संविदा पर नियोजित होने वाली महिला पर्यवेक्षिका के लिए कर्णांकित हो जायेगें। इस योजना के बेहतर संचालन एवं समुचित पर्यवेक्षण के लिए महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों के विरुद्ध तत्काल अनुबंध के आधार पर नियोजन किये जाने का प्रस्ताव है।

- (i) अनुबंध पर नियोजन स्वीकृत/रिक्त पदों के विरुद्ध विज्ञापन के आधार पर आवेदन पत्र ऑन लाईन प्राप्त कर किया जायेगा और ऐसे नियोजन में राज्य के आरक्षण संबंधी अधिनियमों, नियमों एवं अनुदेशों का पालन किया जायेगा।
- (ii) जिलावार स्वीकृत तथा रिक्त पदों के आधार पर विभिन्नकोटि के लिए आदर्श रोस्टर प्रणाली के तहत संलेख की कंडिका (viii) की प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। अनुबंध पर नियोजन हेतु अलग से रोस्टर प्रणाली संचारित किया जायेगा।

(iii) अनुबंध पर नियोजन के लिए अर्हताएँ :-

- क) अभ्यर्थी केवल महिला हो।
- ख) अभ्यर्थी भारत की नागरिक हो।
- ग) आवेदिका संबंधित जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

(iv) 1 (क)

जिला स्तर पर स्वीकृत बाल के विरुद्ध रिक्त पदों में से 75 प्रतिशत पद जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध पर सीधे भरे जायेगें एवं शेष 25 प्रतिशत पद आँगनवाड़ी सेविकाओं से भरे जाएंगे। महिला पर्यवेक्षिका के लिए अहर्ता निम्नांकित होगी :-

अनिवार्य अर्हता :-

भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक।

वांछनीय अर्हता :-

निम्नलिखित विषय में स्नातकोत्तर, (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक) के साथ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को बोनस अंक दिये जायेगें :-

(I) समाज शास्त्र (II) समाज कार्य (III) गृह विज्ञान (IV) मनोविज्ञान (V) बाल विकास एवं पोषण (VI) आहार विज्ञान (VII) श्रम एवं समाज शास्त्र।

22/80
(1)

31

समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो किन्तु इसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा की डिग्री (पोलिटेक्निक यूनानी, शिक्षा आदि) शारीरिक शिक्षा, प्राच्यभाषा/भाषा विशेष से संबंधित डिग्री (मौलवी उप-शास्त्री) तथा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त समरूप डिग्री (मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा वर्णित) महिला पर्यवेक्षिका पद पर नियोजन हेतु सम्मिलित नहीं है।
शेष 25 प्रतिशत पद आँगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित होंगे। इस कोटि के अन्तर्गत चयन हेतु अहर्ता निम्न प्रकार होगी:-

- 2 (क) (1) न्यूनतम मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण
(2) चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल ।

(v) उम्र :- चयन के वर्ष की पहली जनवरी को नियोजन की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्तियों हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

(vi) उपरोक्त कंडिका (iv)(2)(क) के अन्तर्गत चयन हेतु अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी।
शारीरिक स्वस्थता : अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है, ताकि अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में किसी प्रकार का बाधा का सामना नहीं करना पड़े। मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता/विकलांगता का निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन पर किया जाय न कि चयन समिति के विवेक पर। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति/योगदान, सहायक सिविल सर्जन के स्तर के पदाधिकारी से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के उपस्थापन के पश्चात् ही की जायेगी।
विशेष अर्हता : अभ्यर्थी को दो पहिये वाले वाहन चलाने की तीन माह के अन्दर सीख लेने की अनिवार्यता होगी।

(vii) **जिला स्तरीय चयन समिति:-** महिला पर्यवेक्षिका के अनुबंध के आधार पर नियोजन के लिए जिला स्तर पर एक चयन समिति होगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा :-

(1)	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	सदस्य
(3)	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
(4)	जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य
(5)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	सदस्य सचिव
(6)	जिला पर्वद की निर्वाचित एक महिला प्रधितिधि	सदस्य
(7)	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक अनुसूचित जाति/जन जाति के पदाधिकारी	सदस्य

(viii) अनुबंध के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया

(1) (क) **रिक्तियों की अवधारणा :-** कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 2803 दिनांक 03.10.2006 के आलोक में यथार्थिती पदों के समूहीकरण की कार्यवाई कर जिला स्तर पर चयन के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा उसे सीधी नियुक्ति एवं आँगनवाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित कमशः 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत पदों में विभक्त कर देंगे। दोनों माध्यम से भरे जाने वाले पदों के आरक्षण रोस्टर के लिए दो अलग-अलग पंजी संधारित की जायेगी।

75 प्रतिशत पदों, जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है, का रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। शेष 25 प्रतिशत पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी। इन पदों के लिए भी रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा।

उपरोक्त प्रक्रिया को निम्नप्रकार से उदाहरण के रूप में और स्पष्ट किया जाता है :-

(i) चूँकि 3034 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी है, अतः सर्वप्रथम इन रिक्तियों अर्थात् 3034 की संख्या को 75:25 के अनुपात में विभक्त किया जाएगा। इस प्रकार से नियुक्ति से कुल लगभग 2276 महिला पर्यवेक्षिकाओं की एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं में से 758 महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति की जाएगी।

(ii) उपरोक्त 2276 एवं 758 रिक्तियों के लिए अलग-अलग रोस्टर पंजी संधारित जाएगी। प्रत्येक रोस्टर पंजी क्रमांक 1 से प्रारंभ होगी।

(ख) आरक्षण :- (i) बिहार अधिनियम-3/1992 एवं समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम के आलोक में हस्तगत नियोजन में आरक्षण प्रभावी होगा। बिहार अधिनियम-17/2002 आलोक में निर्गत परिपत्र संख्या 458 दिनांक 30.09.2002 के अनुसार जिला स्तर पर रोटेशन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(ii) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 के आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प संख्या-62 दिनांक 05.01.2007 एवं समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्रों/आदेश आदि के आलोक में निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण देय होगा।

(iii) बिहार अधिनियम-15/2003 के आलोक में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं होगा।

(2) रिक्तियों के रोस्टर बिन्दु तैयार होने के पश्चात महिला पर्यवेक्षिका के नियोजन हेतु ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जिला स्तर से निर्गत किया जायेगा। विज्ञापन निकाल कर चयन तक की प्रक्रिया के साथ ही रोस्टर बिन्दु के निर्धारण का कार्य साथ-साथ पूरा कराया जायेगा।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इस मार्गदर्शिका की कंडिका (viii)(5)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) के अनुरूप अभ्यर्थियों के मेधा सूची का निर्धारण जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(4) (क) चयन के विचारार्थ ऑन लाईन आवेदन पत्र, विहित परिशिष्ट-I में देना अनिवार्य होगा तथा इसकी प्रति निबंधित डाक से संबंधित जिला पदाधिकारी को भेजना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिनों के अन्दर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त सभी अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, स्नातक/स्नातकोत्तर आदि परीक्षा के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियाँ, तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस आशय का अंडरटोकेंग देना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों में यदि किसी प्रकार की कमी रह जाती है तो उक्त के आधार पर उस आवेदन को अयोग्य नहीं किया जायेगा। आवेदक का आवेदन स्वीकृत करते हुए आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्गत की जायेगी, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि कौन सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। वांछित प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा आवेदन देने की निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) आवेदन पत्र प्राप्त होने के अंतिम तिथि के पश्चात् 15 दिनों के अन्दर इस मार्गदर्शिका की कंडिका (viii)(5)(क)(ख)(ग)(घ)(ङ) के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जायेगा। अंतिम रूप से निर्धारित किये गये सूची पर जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयन परिणाम (Result) चयन समिति के सदस्य सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति संबंधित प्रमंडलीय

आयुक्त को भेजी जायेगी। अभ्यर्थियों की योग्यता, जाति, निवास, एवं चरित्र आदि के मूल प्रमाण पत्र की आवश्यक जाँचोपरांत चयनित अभ्यर्थियों को महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अनुबंध एकरारनामा करने के लिए लिखित सूचना निबंधित डाक से अथवा हाथों-हाथ भेजा जायेगा।

- (ग) अभ्यर्थियों की योग्यता जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच जिला पदाधिकारी द्वारा गठित त्रिसदस्यी समिति द्वारा की जायेगी। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों के विश्वसनीयता की जाँच से संबंधित बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से करायी जायेगी। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में उनका चयन अस्वीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- (घ) सदस्य सचिव, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुमोदित सूची के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से अनुबंध के शर्तों के विन्दुओं पर एक एकरारनामा "विहित प्रपत्र" में किया जायेगा। जिसमें एक पक्ष चयनित अभ्यर्थी एवं दूसरा पक्ष सदस्य सचिव, चयन समिति होंगे। तदनुसार चयनित अभ्यर्थियों को जिलान्तर्गत परियोजना में पदस्थापन के निमित्त परियोजना कार्यालय में योगदान देने हेतु जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत नियोजन पत्र हस्तगत करायेगे। नियोजन पत्र की प्रति संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं निदेशक, आई०सी०डी०एस० को उपलब्ध करायेगे। नियोजित अभ्यर्थी नियोजन पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहाँ योगदान करेंगे। निर्धारित तिथि के अन्दर योगदान नहीं करने वाली अभ्यर्थियों का नियोजन स्वतः रद्द समझा जाएगा। किसी अपरिहार्य और गंभीर विचारणीय कारण की स्थिति में योगदान हेतु अधिकतम 30 दिनों का समय देय होगा। उसके पश्चात किसी भी प्रकार के दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- (ङ) जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों को एक पंजी में संघारित किया जायेगा, जिसके प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों का प्रमाणीकरण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

5

सीधी नियुक्ति

- (क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु पैनल निम्न रूपेण मेधा अंक के आधार पर तैयार किया जायेगा:-

शैक्षणिक योग्यता		कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	मैट्रिक/समकक्ष परीक्षा		
2	इंटरमीडिएट		
3	स्नातक		

- (ख) उपरोक्त सभी प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़कर उसमें तीन से भाग देने पर जो प्रतिशत प्राप्त होगा, वह उस अभ्यर्थी का कुल प्राप्तांक होगा। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (extra) विषयों को नहीं जोड़ा जायेगा। मात्र अनिवार्य (compulsory) एवं ऐच्छिक (optional) विषयों को जोड़ा जायेगा। उदाहरण स्वरूप अनिवार्य विषय गणित, विज्ञान, ऐच्छिक विषय - कम्प्यूटर, अतिरिक्त विषय - तर्कशास्त्र।

मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त विषय - तर्कशास्त्र के अंक को छोड़कर अनिवार्य (compulsory) एवं ऐच्छिक (optional) विषयों के अंक कुल प्राप्तांक होंगे।

- (ग) मार्गदर्शिका की कंडिका (iv) (i) (क) के तहत वांछनीय अर्हता के वर्णित विषयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को क्रमशः 5 एवं 10 बोनस अंक (अलग-अलग) दिये जायेगे।

मेधा सूची तैयार करने के लिए 3 अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले अंक का उदाहरण निम्नप्रकार से स्पष्ट किया गया है -

उदाहरण 1 मान लिया जाय कि कुमारी रीता की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्न प्रकार है -

मैट्रिक	-	62 प्रतिशत
इंटर	-	73 प्रतिशत
स्नातक	-	61 प्रतिशत

कुमारी रीता के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातक उत्तीर्ण रहने के कारण 5 बोनस अंक दिया जायगा, परंतु निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण 10 बोनस नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 70.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अभ्यर्थी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंको की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुमारी रीता	62	73	61	62	73	61	65.33	5 (कंडिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय)	-	70.33

उदाहरण 2 मान लिया जाय कि मीरा कुमारी की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्न प्रकार है -

मैट्रिक	-	72 प्रतिशत
इंटर	-	76 प्रतिशत
स्नातक	-	48 प्रतिशत

मीरा कुमारी के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातक उत्तीर्ण रहने के कारण इन्हें 5 बोनस अंक दिया जायगा एवं निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण रहने के कारण 10 बोनस अंक दिया जायेगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 75.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

अभ्यर्थी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	अंको की गणना						
				मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मीरा कुमारी	72	76	48	72	76	48	65.33	5 (कंडिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय)	10 (कंडिका 1 (क) के निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय)	75.33

उदाहरण 3 मान लिया जाय कि सीमा कुमारी की योग्यता एवं प्राप्तांक निम्न प्रकार है -

मैट्रिक	-	65 प्रतिशत
इंटर	-	53 प्रतिशत
स्नातक	-	54 प्रतिशत

सीमा कुमारी के कुल अंक की गणना निम्न प्रकार की जायगी। इन्हें निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातक उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण इन्हें 5 बोनस अंक नहीं दिया जायेगा एवं

निर्धारित अर्हता के वांछनीय सूचीबद्ध विषय में स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण नहीं रहने के कारण 10 बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार इनका कुल अंक 57.33 प्रतिशत निर्धारित हुआ।

				अंको की गणना						
अभ्यर्थी	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	मैट्रिक	इंटर	स्नातक	औसत अंक (5+6+7)	स्नातक के लिए बोनस अंक	स्नातकोत्तर के लिए बोनस अंक	कुल अंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सीमा कुमारी	65	53	54	65	53	54	57.33	—	—	57.33

- (घ) अभ्यर्थियों को कंडिका viii(5)(ख) के तहत प्राप्त कुल प्राप्तांक में उपरोक्त बोनस अंक जोड़कर मेधा अंक निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार प्राप्त मेधा अंको के आधार पर आरक्षण कोटि के अनुसार मेधा सूची बनाकर रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी, यदि दो उम्मीदवारों को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली अभ्यर्थी को उपर रखा जायेगा।

- (ङ) ऑगनबाडी सेविका से नियुक्ति :-
ऑगनबाडी सेविका के लिए 25 प्रतिशत कर्णाकेंत पदों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा की जायेगी, तथा निम्नलिखित रीति से इन अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची आरक्षण के नियमों के तहत कोटिवार तैयार की जायेगी।
प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरंतर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 1-1 अंक दिये जायेंगे। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त ऑगनबाडी सेविका को क्रमशः 10 एवं 5 अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

शैक्षणिक योग्यता के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को उच्चतर परीक्षा (इंटर/स्नातक/स्नातकोत्तर) में प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी प्राप्त करने के लिए अलग-अलग क्रमशः 10 बोनस अंक या 5 बोनस अंक या 3 बोनस अंक अतिरिक्त दिये जायेंगे।

उपरोक्त आधार से प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम योग्यता सूची तैयार कर आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्त पदों के आलोक में सर्वाधिक मेधा अंक वाली सेविकाओं की नियुक्ति की जायेगी। यदि दो सेविकाओं को समान मेधा अंक प्राप्त होते हैं तो अधिक आयु वाली सेविका को उपर रखा जायेगा।

- (च) उपरोक्त कंडिका (viii) 5 (क)(ख)(ग)(घ) एवं (ङ) के आलोक में तैयार मेधा सूची को कंडिका (viii) 4(ख) के अनुरूप सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया जायेगा। एक सप्ताह तक किसी भी प्रकार की आपत्ति के लिए सदस्य सचिव, चयन समिति के कार्यालय में दर्ज करने का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर सदस्य सचिव मेधा सूची को अंतिम रूप देंगे एवं उस पर चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर चयन संबंधी कार्रवाई करेंगे।
- (छ) अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। अनुबंध अवधि की समाप्ति पर संतोषप्रद कियाकलाप एवं पद की आवश्यकता के आलोक में पुनः अनुबंध किया जा सकेगा। परियोजना समाप्त होने पर अनुबंध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (ज) अनुबंध के आधार पर नियोजित महिलाएँ सरकारी सेवक नहीं मानी जायेगी और सरकारी सेवक हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा की वे हकदार नहीं होंगी। अनुबंध के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा। परियोजना के किसी अन्य पद पर भी कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- (ix) चयन संबंधी अनियमितता पर कार्रवाई :-
इस मार्गदर्शिका के आलोक में नियोजन/चयन संबंधी अनियमितता के मामलों में संबंधित प्रमंडलीय

आयुक्त के यहाँ अधिकतम 1 माह के अंदर कोई भी शिकायत की जा सकेगी। शिकायत के आलोक में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त जॉचोपरांत संबंधित पक्षों को सुनकर एक माह के अंदर-मुखर-आदेश (Speaking Order) पारित करेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम माना जायेगा। यदि जॉचोपरांत यह पाया जाता है कि महिला पर्यवेक्षिका का चयन इस मार्गदर्शिका के प्रावधानों के प्रतिकूल किया गया है तो प्रमंडलीय आयुक्त उक्त महिला पर्यवेक्षिका के चयन को रद्द करते हुए, संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचित करेंगे कि वे सरकारी निर्देश/मापदण्डों के आलोक में सही अभ्यर्थी का पुनः चयन करें।

(x) अनुबंध करने की प्रक्रिया:-

(क) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उपर्युक्त सूचक के आधार पर समेकित रूप में योग्य/अयोग्य महिला पर्यवेक्षिका की सूची/प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अनुबंध समाप्त होने के दो माह पूर्व चयन समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध करायेगा।

(ख) सदस्य सचिव, चयन समिति, सेवा संबंधी प्राप्त सूची/प्रस्ताव पर अनुबंध समाप्त होने के पूर्व जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त कर महिला पर्यवेक्षिका अनुबंध संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत करेंगे तथा इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0 को सूची सहित उपलब्ध करायेगा।

(xi) महिला पर्यवेक्षिका की अनुमान्यता/प्राप्तियां :

(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संख्या 2401 दिनांक 18.07.2007 के आलोक में समिति द्वारा स्वीकृत महिला पर्यवेक्षिका को निर्धारित नियत पारिश्रमिक 12000/- (बारह हजार) रुपये प्रतिमाह की दर से देय होगा (कार्यवाही की प्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र 40 रु0 की दर से यात्रा भत्ता अधिकतम 1000/- (एक हजार) रु0 प्रतिमाह अनुमान्य होगा। उक्त राशि का भुगतान उसी शीर्ष से होगा जिस शीर्ष के अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिका का पद स्वीकृत होगा।

(ख) (i) राजपत्रित अवकाश एवं रविवार को छोड़, वर्ष में 12 दिनों का (संवैतनिक) आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा।
(ii) मातृत्व अवकाश का लाभ निर्धारित नियत वेतन की आधी राशि पर अधिकतम दो माहों का देय होगा।

(xii) प्रशिक्षण : राज्य सरकार इनके पेशागत ज्ञान एवं कौशल के लिए समय-समय पर संवैतनिक जॉब/रिफ्रेशर प्रशिक्षण, की व्यवस्था करेगी जिसमें भाग लेना और उत्तीर्ण होना इनके लिए अनिवार्य होगा।

(xiii) प्रशासनिक नियंत्रण :

संविदा पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका का प्रमंडल स्तर पर संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी होंगे। परियोजना स्तर पर महिला पर्यवेक्षिकाएँ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। किन्तु सारी प्रशासकीय एवं नियंत्री शक्तियाँ सरकार में निहित रहेगी।

(xiv) अनुबंध की समाप्ति (Termination):-

क) इस प्रकार का नियोजन, संविदा अवधि समाप्ति के पूर्व, उभय पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकेगा।

ख) महिला पर्यवेक्षिका द्वारा अपने कर्तव्यों के संतोषप्रद निर्वहन नहीं किये जाने, उनके द्वारा अनियमितता बरते जाने, अनाधिकृत अनुपस्थित रहने, अपराधिक घटना में शामिल होने अथवा एकरारनामों की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में उनसे स्पष्टीकरण पूछकर संबंधित जिला पदाधिकारी अनुबंध मुका करने का आदेश पारित करेंगे। इनके आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष एक माह के अन्दर की जा सकेगी। प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

ग) उपरोक्त कंडिका (ख) में उल्लिखित आरोपों के आधार पर संबंधित साक्ष्यों से संतुष्ट हो कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त महिला पर्यवेक्षिका का अनुबंध समाप्त करने का

आदेश पारित करेंगे।

घ) उपरोक्त प्राधिकारों के अतिरिक्त उपरोक्त कंडिका (ख) में उल्लेखित बिन्दुओं पर जांचोपरान्त महिला पर्यवेक्षिका को सेवा मुक्त करने का अधिकार सरकार में भी सुरक्षित रहेगा।

(xv) निर्वचन (Interpretation) :- यदि इस मार्गदर्शी सिद्धान्त के किसी कंडिका के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न होने एवं नियोजन संबंधी उपरोक्त दिशा-निर्देश से अलग कोई भी दृष्टांत या मामला प्रकाश में आता है तो उस मामले को संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निदेशक, आई०सी०डी०एस० के संज्ञान में लाया जायेगा। जिस पर निदेशक, आई०सी०डी०एस० समीक्षोपरान्त, आवश्यकतानुसार सरकार के अनुमोदनोपरान्त निर्देश जारी करेंगे।

xvi) राज्य सरकार एवं निदेशालय की शक्तियाँ :

(क) समय-समय पर, यथा आवश्यकता, राज्य सरकार मार्ग निर्देश दे सकेगी।

(ख) यथा आवश्यकता एवं निश्चित व्यतिक्रम पर वित्तीय परिलक्षियों का पुनरीक्षण/ मूल्यांकन करा सकेगी।

(ग) इस संकल्प द्वारा निर्दिष्ट किसी शर्त का उल्लंघन करने/ वित्तीय अनियमितता के प्रमाणिक साक्ष्य मिलने, नियोजन में अनियमितता पाये जाने पर, निदेशक, आई०सी०डी०एस०/प्रधान सचिव, समाज कल्याण एवं सरकार संबंधित महिला पर्यवेक्षिकाओं के नियोजन को रद्द करने का निदेश दे सकेगी तथा अनियमितता संबंधी राशि की वसूली ले लिये विधि सम्मत कार्रवाई कर सकेगी।

(घ) संकल्प के किसी प्रावधान को संशोधित/विलोपित कर सकेगी।

(XVII) इस संकल्प में निहित निर्देश बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

(XVIII) पूर्व में इस कार्यालय के पत्र ज्ञापांक-०९/आई०सी०डी०एस०-१०६८/२००१-१२२१, दिनांक-०१.०४.०८ विलोपित समझा जाएगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारियों, कार्यालयों एवं जिला परिषदों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(सी० के०, यमी)
सरकार के प्रधान सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रण भंडार एवं प्रकाशन, गुलजारबाग, पटना/अधीक्षक, सचिवालय
मुद्रणालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन अगले अंक में किया
जाय तथा इसकी 50 प्रति आई.सी.डी.एस. निदेशालय, पटना को उपलब्ध करायी जाय।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
प्रतिलिपि - महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव,
बिहार, पटना/माननीय मंत्री, समाज कल्याण के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला प्रोग्राम
पदाधिकारी/जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला पर्वद/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक - 09/आई.सी.डी.एस.-1068/2001 1846 दिनांक-10/6/10
प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की दिनांक-08.06.10 को
मद संख्या-20 के रूप में स्वीकृत संलेख के कार्यान्वयन के अनुपालन में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।

(वी० के० वर्मा)
प्रधान सचिव